भारत सरकार **राज्य सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.1871**

दिनांक 29 अगस्त, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए

पूर्वोत्तर क्षेत्रों हेतु ईपीसीजी के अंतर्गत निर्यात बाध्यता को कम करने के लिए कदम

1871. श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्यः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने एक्सपोर्ट प्रोमोशन कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी) योजना के अंतर्गत विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्यात की बाध्यता कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र की भौगोलिक तथा प्राकृतिक बाधाओं जो वहां से निर्यात/आयात के साथ-साथ लाभ अर्जन को मुश्किल बना देती हैं, को ध्यान में रखते हुए, पूर्वोत्तर क्षेत्र की विभिन्न फर्मों की निर्यात बाध्यता को हटाने के लिए कोई प्रावधान किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) जी, हाँ।

(ख) दिनांक 05.06.2012 को घोषित विदेश व्यापार नीति (2009-14) के वार्षिक परिशिष्ट में, एक प्रावधान प्रस्तुत किया गया था जिसके द्वारा अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा और सिक्किम में स्थित इकाईयों के लिए विशिष्ट निर्यात बाध्यता भारत में किसी अन्य स्थान पर स्थित इकाईयों पर लागू निर्यात बाध्यता का 25 प्रतिशत होगा।

(ग) ऐसा प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।